डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान भीमसिंह बनाम भीका वगैरा

दावा बाबत् 88,89,,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 57 / 2022

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दठ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

आराजी खसरा नंबर 250 रकबा 0.32, हैक्टेयर वाके ग्राम कबई प्रथम तहसील नदबई पर स्थित है, पर वादी का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है।

बैज – मुबलिग – – – – – – बाबत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलयाबी तक ———————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30.04.2024 .... को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत———— सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

1. भीमसिंह पुत्र किशोरी सिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला (राज.)

वादी

बनाम

1. भीका पुत्र पिरथी जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर (रा

प्रतिवादी

30/4/24
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 57 / 2022
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 30.04.2024

1. भीमसिंह पुत्र किशोरी सिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

वादी

बनाम

1. भीका पुत्र पिरथी जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज.)

प्रतिवादी

उपस्थित श्री लक्ष्मणसिंह एड0(वादीगण)

निर्णय दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादी का वादपत्र संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–
2. यह कि हाल आराजी खसरा नंबर 250 रकबा 0.32 वाकेग्राम कबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है जिस पर वादी दिनांक 18.05.1980 से खातेदार की तरह काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है।
3. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र का हाल खसरा नंबर 250 रकबा 0.32 वाके ग्राम कबई प्रथम तहसील नदबई साबिक खसरा नंबर 173 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कबई प्रथम से बना है।
4. यह कि विवादित आराजी वादपत्र के साबिक खसरा नंबर 173 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा को वादी ने प्रतिफल 3200 रूपये देकर प्रतिवादी भीका

1 30/4/24

पुत्र पिरथी जाति जाट निवासी बैलारा से जरिए वयपत्र दिनांक 18.05. 1980 को खरीद किया था। वादी तभी से काबिजकाश्त है। वादी निरन्तर व निर्बाध रूप से 41 वर्ष पूर्व से यानि की दिनांक 18.05.1980 से खातेदार की तरह काबिज काश्त चला आ रहा है इस प्रकार वादी विवादित आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी काश्तकारी के हक प्राप्त कर चुका है।

5. यह कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरीके से विवादित आराजी पर प्रतिवादी के नाम खातेदारी इन्द्राजात चले आ रहे हैं। जबकि विवादित आराजी को वादी ने दिनांक 18.08.1980 से जरिए वयपत्र से क्रय किया है। प्रतिवादी के नाम उक्त इन्द्राजाता खातेदारी से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पडता है अतः वादी विवादित आराजी पर अपने आप को एडवर्स पजेशन के आधार पर वाहिद रूप से खातेदार काबिजकाश्त करा पाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने के अधिकारी हैं।

6. यह कि प्रतिवादी ने वादी को धमकी दी कि वादी द्वारा बोई गई फसल को जबरन काटकर बेचान कर देंगे तथा मेरे नाम के खातेदारी इन्द्राज चले आ रहे हैं तथा आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर देंगे अतः वादी प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं।

7. अतः प्रार्थना की कि विवादित आराजीयात खसरा नंबर 250 वाके ग्राम कबई प्रथम पर प्रतिवादीगण के नाम हाल के इन्द्राजातों को कलमजन

30/4/24

Scanned with OKEN Scanner

किया जाकर तथा वादीगण को मुताबिक वय अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

8. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया, परन्तु तलवी न होने पर पुनः तलवी वादी के प्रार्थना पत्र पर तलवी जरिए अखबार साया कराई गई उसके बाबजूद भी न्यायायल हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

9. यह कि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संबत 2074–77 वाके ग्राम कबई प्रथम एवं नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 व 2060 वाके ग्राम कबई प्रथम, नकल जमाबंदी संवत 2038–41 वाके ग्राम कबई प्रथम तथा वयपत्र असल दिनांक 18.05.1980 पेश किया गया एवं साक्ष्य के रूप में वादी भीमसिंह पुत्र किशोरीसिंह जाति जाट निवासी कबई एवं परसराम पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी कबई के बयान पेश किए गए।

यह कि प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2074–77 में प्रतिवादी भीका पुत्र पिरथी जाति जाट साकिम बैलारा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं नकल जमाबंदी संवत 2038–41 में प्रतिवादी भीका पुत्र पिरथी के नाम खातेदारी का अंकन है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान

30/4/24

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रफल संवत 2060 वाके कबई के हाल खसरा नंबर 250 रकबा 0.32 के साबिक खसरा नंबर 173 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा से बना है जो मिलान क्षेत्रफल से साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वयपत्र असल दिनांक 18.05.1980 पेश किया गया जो कि प्रतिवादी भीका पुत्र पिरथी जाति जाट निवासी बैलारा द्वारा वादी भीमसिंह पुत्र किशोरीसिंह जाति जाट निवासी कबई के नाम एक वयपत्र लिखा गया है, परन्तु उक्त वयपत्र जो सब रजिस्ट्रार के यहां तश्तीकशुदा नहीं है, न ही रजिस्टर्ड है। बिना रजिस्टर्ड वय के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते तथा एक रिकॉर्डेड खातेदार को बिना किसी आधार के खातेदारी कलमजन नहीं की जा सकती । इसके अलावा वादी द्वारा पजेशन संबंधी किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया इसलिए वादी का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नंबर 250 रकबा 0.32, हैक्टेयर वाके ग्राम कबई प्रथम तहसील नदबई पर स्थित है, पर वादी का वादपत्र सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.4.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

30/4/24

(गंगाधर मीणा R.A.S.)

सहायक कलेक्टर

सहायक कलक्टर नदबई